राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रामप्रसाद बनाम रामावतार

195/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 19/02/2026 को पेश हो | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
19/02/2026	आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 16/01/2024 पारित करते हुये तहसीलदार चाकसू को वाके ग्राम बरखेडा तह. चाकसू के खसरा नम्बर 380, 408, 409, 414, 416, 421, 422 कुल किता 7 रकबा 2.08 हैक्टेयर व् खसरा नम्बर 411 रकबा 0.07 हैक्टयर किता 1 का तकासमा मीटस एंड बाउन्ड्स के आधार पर तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 16/01/2024 के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचाराधीन विभाजन का वाद प्रस्स्तुत होने पर प्रथम तारीख पेशी दिनांक 16/01/2024 को ही वाद को दर्ज रजिस्टर करने का आदेश प्रदान करते हुये बीना विधिक प्रक्रियाओ की अनुपालना किये व प्रतिवादीगण को नोटिस/सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बीना ही अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय पारित करने में तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी किया जाना स्पष्ट होता है | विधि अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के लिये यह आवश्यक था कि वे समस्त प्रतिवादीगण की तामील करवाते हुये उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिक प्रक्रियाओ की अनुपालना करते हुये निर्णय पारित करते किन्तु ऐसा नही कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी कारित किया जाना जाहिर होता है | अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 16/01/2024 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे समस्त प्रतिवादीगण की तामील करवाते हुये उन्हें सुनवाई का राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रामप्रसाद बनाम रामावतार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	समुचित अवसर प्रदान कर विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों की अनुपालना करते हुये विधिसम्मत प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित करे। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	